न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–286/2026
मुनेश त्यागी बनाम राज्य

29.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रार्थी न तो स्वॅय और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता इस मामले में उपस्थित आये और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत तिथियों दिनांक 15.04.2026, 30.04.2026, 20.05.2026, 22.06.2026 एवं 08.07.2026 पर प्रार्थी न तो स्वॅय और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता इस मामले में उपस्थित आये थे। आज भी प्रार्थी उपस्थित नहीं है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी की इस वाद की कार्यवाही को चलाने में कोई रूचि नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम, प्रार्थी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

तद्नुसार फौजदारी निगरानी भी निस्तारित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाये।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर।